भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †247
सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राज्यों में पर्यटन व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन

†247. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न झीलों और नदियों में पर्यटन की संभावना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में झीलों पर सी प्लेन उतारे जाने की संभावना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन झीलों को चिह्नित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय “आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)” और “विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी)” नामक अपनी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। वर्तमान में चल रही अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में; यह नियमित रूप से भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया संवर्धनों के माध्यम से भी विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का नियमित रूप से प्रचार-प्रसार करता है।

पर्यटन मंत्रालय झीलों और नदियों में पर्यटन सहित, पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

साहसिक पर्यटन के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें चिह्नित केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि और उद्योग हितधारक शामिल हैं। यह बोर्ड देश में साहसिक पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए कार्यनीति के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इसके अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन के लिए विकसित अवसंरचना जिसमें फेयरवे, टर्मिनल, जेट्टी, नेविगेशन मदद आदि शामिल हैं, का उपयोग नदी पर्यटन ऑपरेटरों द्वारा भी किया जाता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान-3 के तहत परिवहन के नवीन साधन अर्थात वॉटर एयरोड्रम से सी प्लेन की शुरूआत की है।

गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप राज्यों में चिह्नित 21 वॉटर एयरोड्रम का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) से (ड.): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने भारत में सीप्लेन सेवाओं के विकास के लिए दिनांक 15 जून, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विभिन्न राज्यों के वॉटर एयरोड्रम का निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा वॉटर साइड व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है:

- असम: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके)
- अंडमान और निकोबार: अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (एएलएचडब्ल्यू)
- लक्षद्वीप: कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीओपीए)

*****

अनुबंध

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री सुधीर गुप्ता, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे एवं श्री प्रतापराव जाधव द्वारा राज्यों में पर्यटन व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †247 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

उड़ान के तहत चिह्नित किए गए वॉटर एयरोड्रम की सूची

क्र. सं.	राज्य	वॉटर एयरोड्रम
1.	**अंडमान और निकोबार (संघ राज्यक्षेत्र)**	स्वराज द्वीप (डब्ल्यू)
2.		लॉन्ग आइलैंड (डब्ल्यू)
3.		मायाबंदर (डब्ल्यू)
4.		शहीद द्वीप (डब्ल्यू)
5.	**आंध्र प्रदेश**	प्रकाशम बैराज (डब्ल्यू)
6.	**असम**	गुवाहाटी रिवर फ्रंट (डब्ल्यू)
7.		काजीरंगा
8.	**गोवा**	उत्तरी गोवा
9.		दक्षिण गोवा
10.	**गुजरात**	द्वारका (डब्ल्यू)
11.		साबरमती रिवर फ्रंट (डब्ल्यू)
12.		स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (डब्ल्यू)
13.	**हिमाचल प्रदेश**	डलहौजी (डब्ल्यू)
14.	**लक्षद्वीप द्वीप समूह**	अगाती (डब्ल्यू)
15.		मिनिकॉय (डब्ल्यू)
16.		कवारत्ती (डब्ल्यू)
17.		कल्पेनी (डब्ल्यू)
18.		बितरा (डब्ल्यू)
19.		कदमत (डब्ल्यू)
20.		किल्टन (डब्ल्यू)
21.		बंगाराम (डब्ल्यू)

*****